भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
***

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 990
(**जिसका उत्तर सोमवार दिनांक** 29 **जुलाई**, 2024/07 **श्रावण**, 1946 (**शक) को दिया जाना है)**

एससीएसपी/टीएसपी को आबंटन

990. **श्री सु. वेंकटेशनः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल बजट में से एससीएसपी/टीएसपी को आबंटित की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) एससीएसपी/टीएसपी को आबंटन के लिए क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है;
(ग) क्या आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान फार्मूले के अनुसार आबंटन में वर्ष-वार कितनी कमी आई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान एससीएसपी/टीएसपी को आबंटित कुल राशि का मंत्रालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संबंधित वर्षों के केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10-ए और 10-बी में उपलब्ध है, जो www.indiabudget.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) से (घ): अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) हेतु बजट आवंटन के लिए दिशा-निर्देश नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं और तदनुसार, अंतिम आवंटन संबंधित विभागों द्वारा किए जाते हैं। सभी मांगों के लिए कोई एक समान फॉर्मूला नहीं है और यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होता है। नीति आयोग के दिशा-निर्देशों/फॉर्मूले के अनुसार एससीएसपी/टीएसपी हेतु अधिदेशित आबंटन को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में एससीएसपी और टीएसपी के तहत समग्र आबंटन और व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

*****